संख्या-615/2017/1144/22-2-2017-17(161)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनोद पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद, निवासी जनपद-उन्नाव वर्तमान फतेहपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी विनोद पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद, ग्राम-सुन्दरपुर, थाना-अजगैन, जनपद-उन्नाव वर्तमान फतेहपुर का निवासी है। लूट के इरादे से बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 08.09.1976 को अपरान्ह 03.00 बजे ट्रक ड्राइवर को रस्से से बांधकर नहर में फेंक दिया, जिससे ड्राइवर की मृत्यु हो गयी तथा सामान लूट कर भाग गये। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-92/1978 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201, 323/34, 394 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 04.06.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.08.1997 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.04.2017 तक 19 वर्ष 06 माह 27 दिन की अपरिहार एवं 25 वर्ष 11 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 64 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी द्वारा ट्रक ड्राइवर की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा कारित किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है, जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विनोद पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी विनोद (बन्दी संख्या-9985) पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद, निवासी जनपद-उन्नाव वर्तमान फतेहपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-615/2017/1144/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।